सी.एस.आई.आर - केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
पिलानी (राजस्थान)

संख्या : 6-20(2)/2015 टैक्सी दिनांक : 05.05.2015

निविदा सूचना

संस्थान के विभिन्न कार्यों एवं परियोजनाओं के सम्पादन हेतु किराये पर टैक्सियों की आवश्यकता है । ये टैक्सियाँ ठेके पर निविदाएँ आमंत्रित करके एक वर्ष-पर्यन्त आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करायी जानी है । निम्नलिखित योग्यता रखने वाली फर्म/एजेन्सी/ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स इस निविदा प्रपत्र के लिए आवेदन कर सकती है ।

योग्यताएँ :-

1. फर्म /एजेन्सी/ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स जिनके पास उनकी स्वयं की दो (02) टैक्सियाँ (इन्डिगो /डिजायर/छोटी टैक्सियाँ आदि) तथा उनका पंजीकरण भी उनके नाम पर हो ।
2. फर्म को सर्विस टैक्स पंजीकरण का प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
3. सभी टैक्सियाँ (Road worthy in all respects) अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए तथा उनका मॉडल 2012 अथवा उसके बाद का होना चाहिए ।
4. आयकर विभाग से फर्म के मालिक के नाम का PAN प्रमाण पत्र होना चाहिये ।
5. फर्म/एजेन्सी के पास कम से कम 1 वर्ष से अधिक समय का किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय में किराये पर टैक्सियाँ उपलब्ध कराये जाने का अनुभव होना चाहिये।
6. संस्थान में दो तरह के टैक्सी वाहनों की आवश्यकता होती है । छोटे टैक्सी वाहन जैसे इन्डिगो/डिजायर आदि एवं बड़े टैक्सी वाहन जैसे स्कोर्पियो,टेवेरा,इन्नोवा आदि इच्छुक निविदादाता जो उपरोक्त योग्यता रखते हों, वांछित प्रमाण पत्र/कागजात के साथ दिनांक- 09/05/15 से 26/05/15 तक प्रातः 10.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक (प्रत्येक कार्य दिवस में) अनुभाग अधिकारी, ई -III सी.एस.आई.आर. - सीरी मे ₹ 500/- नगद जमा कर प्राप्त कर सकते हैं । दस्तावेज पूर्ण रूप से भर कर प्रशासनिक अधिकारी, सी.एस.आई.आर. - सीरी के कार्यालय में दिनांक 27.05.15 को अपराह्न 3.00 बजे तक जमा करायें । इसके बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाऐगा । प्राप्त निविदाएँ दिनांक 27.05.15 को अपराह्न 3.30 बजे खोली जाएगी।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त बिंदु 2 के अनुपलब्धता होने की स्थिति में कार्यादेश रद्द मानी जायेगी ।

निविदाओं का विस्तृत ब्यौरा सी.एस.आई.आर.- सीरी की वेबसाइट www.ceeri.res.in पर भी देखा जा सकता है, परन्तु डाउन लोड किये हुए टेंडर फार्म स्वीकार नहीं किये जाएगे ।

प्रशासनिक अधिकारी

सी.एस.आई.आर. - केन्द्रीय इलेक्ट्रनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान,

पिलानी (राजस्थान)

संख्या : 6-20(2)/2015 टैक्सी दिनांक : 05.05.2015

संस्थान में परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यों हेतु वाहनों को किराए पर लेने के लिए निविदाएँ आंमत्रित की जाती हैं। कृपया निम्निलिखित शर्तों को ध्यान में रखते हुए टैक्सियाँ किराए पर देने की दरें लिख कर दिनांक 27.05.2015 को अपराह्न 3.00 बजे तक प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में जमा करा दें। निविदाएँ दिनांक 27.05.2015 को अपराह्न 3.30 बजे खोली जाएंगी।

1. संस्थान को जब भी वाहनों की आवश्यकता होगी,वाहन (अधिकतम 30 मिनट के अन्दर) उपलब्ध कराना होगा।
2. निविदादाता के पास कम से कम 1 वर्ष या अधिक समय का किसी भी सरकारी संस्थान/ अर्द्धसरकारी कार्यालय में किराये पर टैक्सियाँ उपलब्ध कराये जाने का अनुभव होना चाहिये।
3. निविदादाता इस टेंडर फार्म के साथ संलग्न तालिका **Annexure I** के दोनों categories में अपने किराये की दरें (प्रति कि.मी.) राशि लिखें। कार्यादेश मिलने वाले निविदा कर्मी को स्थानीय डय़ूटी के लिए निम्नलिखित शर्तों पर टैक्सी उपलब्ध करानी होगी:-
   - (क) शून्य से 6 घण्टे तक की यात्रा के लिए अधिकतम 125 कि.मी. का भुगतान किया जायेगा।
   - (ख) यदि वाहन का उपयोग 6 घण्टे से अधिक समय के लिए होता है, तो अगले प्रत्येक घण्टे का 20 कि.मी. प्रति घण्टे के हिसाब से Running Cost का भुगतान किया जाएगा, उल्लेखनीय है कि लोकल डयूटी में भुगतान की अधिकतम सीमा प्रति दिन 250 KM की दर से देय होगी।
   - (ग) ठेके का चुनाव करते समय 80% weightage छोटे वाहन को तथा 20% बडे वाहन को दिया जाएगा। L- 1 का निर्धारण 80% व 20% weightage के बाद निम्नानुसार किया जायेगा :-

$$\frac{\text{छोटी टैक्सी के दर} \times 80}{100} + \frac{\text{बडी टैक्सी के दर} \times 20}{100}$$

4. यह अनुबन्ध एक वर्ष के लिए प्रभावी होगा, जो आवश्यकता पडने पर बढाया जा सकता है। सेवायें ठीक न होने पर निदेशक, सी.एस.आई.आर. - सीरी को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा ।

5. अनुबंध के अंतर्गत लंबी दूरी के लिए पिलानी से बाहर जाने वाले वाहनों (For outstation taxi) के मामले में न्यूनतम दूरी के लिए 250 KM प्रतिदिन के किराये का भुगतान देय होगा ।

   (क) 'लोकल' शब्द से पिलानी के अन्दर व पिलानी के आस पास स्थित स्थान जैसे लुहारू, झुन्झूनू, चिडावा, सीकर, राजगढ़, हिसार, भिवानी का अर्थ माना जायेगा ।

   (ख) 'आउट स्टेशन' शब्द का अर्थ है वह स्टेशन जो लोकल में नहीं आते जैसे दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, पटियाला आदि ।

6. i) वातानुकूलित वाहनो का किराया सामान्य वाहनो के किराये से एक रूपया 1/-प्रति KM अधिक देय होगा ।

   ii) Pick and Drop के मामलों में सवारी के बैठे होने की स्थिति में ही A/C का किराया देय होगा अन्यथा खाली वाहन के लिये Non A/C की दरें देय होगी ।

   iii) रात्रि ठहराव (Night Stay) के मामले जहाँ A/C गाडी की requirement है, वहाँ तय की गई वास्तविक दूरी का ही A/C किराया देय होगा । इस स्थिति में न्यूनतम माइलेज व वास्तविक तय दूरी के अतंर के लिए Non A/C का किराया देय होगा ।

7. रात्रिकालीन भत्ता (Night charges/Allowance) की राशि ₹ 100/- (एक सौ रूपये मात्र) प्रति रात्रि की दर से देय होगी ।

8. I) फर्म को सर्विस टैक्स पंजीकरण का प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, इसकी अनुपलब्धता होने की स्थिति में कार्यादेश रद्द माना जायेगा ।

   ii) फर्म द्वारा बिलों के भुगतान के साथ सर्विस टैक्स की जमा रसीद सलग्न करनी होगी तभी सर्विस टैक्स की प्रतिपूर्ति की जायेगी ।

9. सभी टैक्सियाँ (Road worthy in all respects) अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए तथा उनका मॉडल 2012 अथवा उसके बाद का होना चाहिए ।

10. वाहनों के सभी आवश्यक कागज अर्थात बीमा,पंजीकरण,ड्राइविंग लाइसेन्स, प्रदूषण रहित प्रमाण पत्र, रोड -टैक्स इत्यादि पूर्ण होने चाहिए । कागजों को पूरा करने का दायित्व इस संस्थान का नहीं होगा ।

11. संस्थान में दो तरह के टैक्सी वाहनों की आवश्यकता होती है । छोटे टैक्सी वाहन जैसे इन्डिगो/डिजायर आदि एवं बडे टैक्सी वाहन जैसे स्कोर्पियो,टेवेरा,इन्नोवा आदि ।

12. कार्यादेश दिये जाने के 15 दिनों के भीतर टैक्सी वाहनों में (Navigation /GPS/Satellite based tracking System) स्थापित (Install) करना होगा । न्यूनतम दो टैक्सियों में Navigation System स्थापित किया जाना आवश्यक होगा । जिसे Duty Slip के कॉलम में उल्लेख करना होगा ।

13. स्वीकृत निविदादाताओं को बतौर बयाना राशि ₹s. 50000/-(पचास हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफट(डी.डी) निदेशक,सी.एस.आई.आर.- सीरी पिलानी के नाम से बना कर संग्लन करना होगा,अन्यथा निविदा रद्द कर दी जायेगी ।

14. फर्म के मालिक के पास स्वंय की दो टैक्सी वाहन जैसे इन्डिगो/डिजायर / स्कोर्पियो/टेवेरा/इन्नोवा आदि होने चाहिए। वाहन के रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि अवश्य लगाएँ, अन्यथा निविदा रद्द मानी जायेगी ।

15. वाहनों में किसी प्रकार की मरम्मत के व्यय का दायित्व संस्थान का नहीं होगा ।

16. फर्म द्वारा संस्थान को वाणिज्यिक टैक्सी ही प्रदान करनी होगी ।

17. वाहन अन्दर-बाहर से साफ सुथरे होने चाहिये, सीटों पर सफेद स्वच्छ कवर लगे होने चाहिए तथा वाहन चालक की वर्दी साफ सुथरी तथा धुली हुई होनी चाहिए ।

18. यात्रा शुरू करने के स्थान पर वाहन निर्धारित समय पर पहुंचना चाहिए, अन्यथा जुर्माने के रूप में ₹s. 200/- की कटौती वाहन के यात्रा बिल से की जा सकती है तथा वाहन चालक दी गई ड्यूटी के लिए बाध्य होगा ।

19. वाहन में निष्पादन (performance) तथा अनुरक्षण (Maintenance) संबंधी शिकायत मिलने पर शिकायतों को तुरंत दूर करना होगा ।

20. आमतौर पर निविदादाता को यात्रा की समाप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर टैक्सी बिल प्रस्तुत करना होगा । देरी से प्रस्तुत किए बिल के संबंध में कोई शिकायत नही सुनी जाएगी ।

21. केवल मुद्रित बिल ही स्वीकार किये जायेगें तथा बिल की (02) दो प्रतियाँ देनी होंगी ।

22. बिल में किलोमीटर का ब्यौरा संस्थान में उपलब्ध प्रारूप Duty Slip के अनुसार देना अनिवार्य होगा । Duty Slip दो प्रतियों में भरनी होगी जिसकी मूल प्रति मैन गेट पर निर्धारित स्थान पर यात्रा समाप्त होने के तुरंत बाद देने होगी । वे Duty Slip जो निर्धारित स्थान पर नहीं दी गई है उनका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

23. वाणिज्यिक वाहनों के किराए के बिलों का भुगतान बिल प्राप्ति से 30 दिनों के अन्दर RTGS/NEFT द्वारा किया जाऐगा ।

24. संस्थान द्वारा किसी भी टैक्सी के पंजीकरण / बीमा, जमा किए गए टैक्स आदि की रसीद माँगी जा सकती है ।

25. निविदादाता को विभिन्न प्रकार के वैधानिक नियमों आयकर, सेवाकर, वाणिज्यिक, श्रम नियम आदि प्रावधान का पालन करना होगा । यदि कोई विधान द्वारा संस्थान को इस संबंध में कोई कर अदा करने के लिए सम्मन मिलेगा तो उसकी वसूली निविदादाता के बिलों/धरोहर राशि से की जाएगी व शेष, राशि यदि कोई हो तो, उसका भुगतान करने के लिए निविदादाता कानूनी तौर पर बाध्य होगा ।

26. सामान्यतः गाड़ियाँ दिल्ली/जयपुर जाती हैं, पर इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, गुजरात, उतराचंल आदि भी जा सकती है, जिसके रोड टैक्स (State Tax) की मूल प्रति संलग्न किये जाने पर संस्थान द्वारा भुगतान किया जा सकेगा ।यह भुगतान केवल दैनिक आधार पर कटे टैक्सों का ही होगा ।वार्षिक/ छमाही/तिमाही/सप्ताहिक आदि के लिये कटे टैक्स का संस्थान भुगतान नहीं करेगी ।

27. पिलानी से बाहर की डयूटी करने पर ड्राइवर के ठहरने की व्यवस्था व अन्य किसी प्रकार के व्यय के लिए संस्थान का कोई दायित्व नहीं होगा ।

28. यात्रा के दौरान वाहन के ब्रेक डाउन / खराब हो जाने अथवा अन्य आकस्मिक परिस्थिति आने पर निविदादाता को शेष यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी एवं उस पर होने वाला व्यय स्वयं वहन करना होगा , अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर उस यात्रा का कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ₹s. 1000/- Penalty दंड शुल्क वसूल किया जायेगा।

29. अनुबंध समाप्त करने व जारी रखने का अधिकार निदेशक सी.एस.आई.आर. - सीरी पिलानी के पास सुरक्षित रहेगा।

30. सशर्त निविदाएँ (Conditional Tender) स्वीकार नहीं किये जाऐगें ।निविदा के किसी भी शर्तो में किसी अन्य शर्त को जोड़ने व हटाने का अधिकार निदेशक सी.एस.आई. आर सीरी के पास सुरक्षित होगा ।

31. कार्यादेश की तिथि को पिलानी में डीजल की प्रभावी दर की कीमतों में रू +/- 5/- प्रति लीटर तक का परिर्वतन होने पर तदनुसार किराये मे परिर्वतन पर विचार किया जाएगा । यह परिवर्तन अगले दिन की तारीख से मान्य होगी । दरों में 18 कि.मी प्रति लीटर माईलेज के हिसाब से किराये की दरों में अनुपातिक परिर्वतन किया जाएगा तथा उभय पक्षीय होंगी।

32. जिस फर्म/एजेन्सी को काम करने का कार्यादेश दिया जायेगा उस फर्म/एजेन्सी का पिलानी में कार्यालय होना आवश्यक होगा ।

33. निदेशक, सी.एस.आई.आर. - सीरी, पिलानी को किसी/सभी निविदाओं को अस्वीकार करने तथा किसी निविदा को आंशिक रूप से स्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा, साथ ही उन्हें बिना कोई कारण बताए न्यूनतम निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा ।

34. उपरोक्त में से किसी भी शर्त में छूट देने का अधिकार निदेशक, सी.एस.आई.आर. - सीरी के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रशासनिक अधिकारी

Annexure - I

2014-2015

CENTRAL ELECTRONICS ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE

Pilani (Rajasthan)

(Council of Scientific and Industrial Research)

Non A/C Rates per day for Hiring of Taxi at CEERI Pilani (For outstation duty)

S.No	Type of vehicle (Non A/C)	Outstation Charges@ ...... Rs./K.m.
1.	1st Category (Smaller Taxies) i.e. Dezire/Indigo etc.	
2.	2nd Category (Bigger Taxies) i.e. Scorpio/Qualis/Tavera/Innova etc.	

Note : 1. For Air conditioned vehicle extra charges of Rs 1/- per KM would apply, as per item No. 6 of the terms and condition of the tender docment.

Note : 2. For outstation, the minimum charges payable would be for 250 K.M. per day.

Place: **Name of firm Firm:........................**

Date: **Signature:....................................**

Address:.....................................

PhoneNo...........................